कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर एवं

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) अहमदाबाद, शाखा कार्यालय जयपुर

क्रमांक: म.ले.(ले.प.-II)/सचिवालय/2020-21/विविध *दिनांक*
07.07.2020

अपील

साथियों,

जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है और अभी तक इसका कोई पुख्ता इलाज या टीका उपलब्ध नहीं हो पाया है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस विषाणु को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। साथ ही आप सभी को पुनः यह स्मरण कराया जाता है कि इस रोग को फैलने से रोकने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग एवं साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए साबुन से हाथ धोने एवं सेनेटाइजर का उपयोग करना है। सभी से अनुरोध है कि निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें-

1. सही प्रकार के मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करें, कार्यालय में आते-जाते समय सेनेटाइजर का उपयोग करें व साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए समय-समय पर साबुन से हाथ धोवें।
2. अनावश्यक रूप से डाक्टर, फार्मेसी या अस्पताल जाने से बचें, आवश्यकता पड़ने पर जहाँ तक सम्भव हो अपने चिकित्सक से फोन पर सलाह प्राप्त करने का प्रयास करें।
3. कार्यालय में प्रवेश के पश्चात् कार्यालय से बाहर जाने से बचें, साथ ही कार्यालय में किसी भी बाहरी व्यक्ति को ना बुलाएं जब तक यह सरकारी कार्यवश अत्यन्त आवश्यक न हो।
4. कार्यालय में भोजनावकाश के समय एक स्थान पर एकत्रित होने से बचें।
5. यदि आपका किसी दूसरे अनुभाग या अधिकारी से कार्य हो तो अधिकाधिक प्रयास कर उक्त कार्य को फोन/ई-मेल पर सम्पर्क कर निपटाने का प्रयत्न करें।
6. जहाँ तक सम्भव हो सामाजिक एवं शादी समारोहों में जाने से बचें।
7. ए.जी. कालोनी में निवास करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि यदि वे अस्पताल में जाँच या दिखाने हेतु जाते हैं तो इसकी सूचना कालोनी सहायक, कल्याण समिति के पदाधिकारियों को अवश्य देवें ताकि उनके अस्पताल में रुकने की परिस्थिति में उनके पीछे से परिवार का ध्यान रखा जा सके।
8. कालोनी से बाहर रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अस्पताल जाँच या दिखाने जाने से पूर्व कल्याण अधिकारी/सहायक एवं अपने नियंत्रण अधिकारी को आवश्यक रूप से सूचित करके जावें।

9. आप सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि इस सम्बन्ध में अपने परिवार के सदस्यों को भी जागरुक रखें एवं उन्हें भी अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने एवं सामाजिक समारोहों से दूरी बनाए रखने हेतु कहें।
10. लेखा एवं हक़ कार्यालय के ट्रेज़री इंस्पेक्शन (T I Parties) दल एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के लेखापरीक्षा दल के सदस्य जो कि अन्य कार्यालयों में इंस्पेक्शन /लेखापरीक्षा हेतु जा रहे हैं उन्हें भी उक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए । यदि इंस्पेक्शन /लेखापरीक्षा किए जाने वाले कार्यालय में किसी भी प्रकार की साफ-सफाई एवं सोशल डिस्टेंसिंग से सम्बन्धित कोई भी समस्या हो तो कार्यालयाध्यक्ष से सम्पर्क कर उन्हें सूचित करें एवं निराकरण न होने पर अपने नियंत्रण अधिकारी/समूह अधिकारी को सूचित करें।
11. अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करें तथा स्टेटस रोज चेक कर अपडेट करते रहें।

(प्रीति अब्राहम) **प्रधान निदेशक,** **सेंट्रल अहमदाबाद**	**(अनादि मिश्र)** **महालेखाकार** **(लेखापरीक्षा-I & II)**	**(डी.पी. यादव)** **प्रधान महालेखाकार** **(लेखा एवं हक)**

क्रमांक: म.ले.(ले.प.-II)/सचिवालय/2020-21/विविध *दिनांक 07.07.2020*

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर ।
3. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर ।
4. निदेशक/सीआरए-II, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) शाखा कार्यालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. समस्त समूह अधिकारी ।
6. कल्याण अधिकारी:- मामला/मामले होने की स्थिति में उपाय करने के लिए ।
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/जी.डी.-I, जी.डी.-III एवं जी.डी. (पी.डी. सेन्ट्रल) ।
8. समस्त शाखा अधिकारी ।
9. समस्त अनुभाग ।
10. सूचना पट्ट ।